इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2021—माघ 30, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5/6 फरवरी 2021

क्र. B-938.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, **मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016** में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त संहिता की धारा 122 के द्वारा यथाअपेक्षित अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 25 दिसम्बर 2020 में किया गया है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, अंक तथा शब्द "10 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "5 वर्ष" स्थापित किए जाएं.

No. B-938.—In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908), the High Court of Madhya Pradesh hereby, make the following amendment in the **Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016,** the same having been previously published as required by Section 122 of the said Code in the Madhya Pradesh Gazette, Part IV (ग), dated 25th December, 2020, namely:—

AMENDMENT

In the said rules in Rule 6, in sub-rule (2), for the figure and word "10 years", the figure and word "5 years" shall be substituted.

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-2-2021-सात-शा.7 भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2021

प्रति,

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश.

विषयः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए संशोधनों तद्नुक्रम में जारी नवीन नियमों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1, 3 आदि को समाप्त/संशोधित कर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 द्वारा किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में स्पष्टीकरण बाबत्।

.....

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020, जो दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को लागू हुआ, द्वारा वृहद् संशोधन किया गया है, तदुपरांत दिनांक 12 फरवरी, 2020 को भी कतिपय संशोधन किए गए हैं। उक्त संशोधनों के पश्चात् संहिता के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धारा 258 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों को भी, उक्त संशोधनों के अनुसरण में, नए सिरे से बनाया जाकर प्रभावशील किया जा चुका है। संहिता के महत्वपूर्ण संशोधन परिशिष्ट-क अनुसार हैं तथा तद्नुकम में बनाए गए पुनरीक्षित नियमों का विवरण परिशिष्ट-ख अनुसार है। राजस्व अधिकारियों से अपेक्षा है कि संहिता के अधीन की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संहिता के मूल प्रावधानों एवं उनके अधीन बने नियमों के अनुसरण में सम्पन्न की जायें।

2/ प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारियों को उक्त संशोधनों से अवगत कराने के लिए आर. सी.पी.व्ही. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के माध्यम से अल्पकालीन प्रशिक्षण/कार्यशालायें आयोजित की गई हैं। मैदानी स्तर पर प्रावधानों के क्रियान्वयन की एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए यह परिपत्र जारी किया जा रहा है।

3/ **भूमि उपयोग में परिवर्तन.**— संशोधन अधिनियम, 2018 के पूर्व संहिता में भूमि उपयोग में व्यपवर्तन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान धारा 172 में रहा है, जो अब विलोपित है और इसी संदर्भ में भूमि के उपयोग के अनुसार भू-राजस्व के निर्धारण के विस्तृत प्रावधान धारा 59 में किए गए हैं। इस हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 बनाए गए हैं। यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि इसी संदर्भ में विभाग के निर्देश क्रमांक 2-12/2018/सात/शा.7 दिनांक 07 जून, 2019 भी जारी किए गए हैं। यद्यपि उक्त संशोधनों/निर्देशों द्वारा व्यपवर्तन के मामलों के विषय में विधि स्पष्ट है, तथापि निम्न बिन्दु स्पष्ट किए जाते हैं :—

(1) भूमि उपयोग के व्यपवर्तन के मामलों में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी को स्वनिर्धारण करते हुए व्यवर्तन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उपखंड अधिकारी को धारा 59 की उपधारा (7) में व्यपवर्तन की प्रज्ञापना प्राप्त होने पर

केवल गणना की शुद्धता की जांच करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित् करना है। जहां तक भूमिस्वामी द्वारा स्वयं प्रयोजन परिवर्तन किये जाने पर भूमि के परिवर्तित प्रयोजन में उपयोग करने का प्रश्न है, इस संबंध में उपधारा (10) के परन्तुक में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भूमिस्वामी या उपखंड अधिकारी की कोई कार्रवाई किसी अन्य विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है तो इसे उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं माना जायेगा। इसी प्रावधान में यह भी स्पष्ट उपबंधित है कि किसी भी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार भूमिस्वामी द्वारा किये गये व्यपवर्तन के आधार पर यदि कोई निर्माण आदि प्रतिबंधित है तो संबंधित विधि के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) यदि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तुत की गई प्रज्ञापना के अनुक्रम में जमा की गई वांछित राशि की पुष्टि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम, 2018 के नियम 13 के उपनियम (1) में निर्धारित समयावधि में उपखंड अधिकारी द्वारा नहीं की जाती तो भी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2–12/2018/सात–7 दिनांक 07/06/2019 तथा समसंख्यक संशोधन दिनांक 13/01/2021 के अनुसार नियम 13 के उपनियम (2) में अपेक्षित अनुसार तहसीलदार द्वारा, व्यपवर्तन की भूमिस्वामी द्वारा दी गई सूचना अनुसार, भू–अभिलेख अद्यतन किया जायेगा।

4/ **खसरा संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक एवं भू–खंड संख्यांक.**– संहिता की धारा 104 की उपधारा (3) के अनुसार नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक ग्राम, संशोधन अधिनियम, 2018 के प्रभावशील होने की दिनांक से, ऐसे नगरीय क्षेत्र का सेक्टर मान्य किया गया है और संधारित भू–अभिलेखों में नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्र में स्थित वे समस्त भूमियां जिनका कृषि भिन्न प्रयोजन में निर्धारण है अर्थात् कृषि भिन्न प्रयोजन की भूमियां हैं, उनके सर्वेक्षण संख्यांक ब्लॉक संख्यांक समझे जायेंगे और ऐसे ब्लॉक संख्यांक में एक या एक से अधिक भू–खंड संख्यांक हो सकेंगे। विद्यमान प्रावधानों में यह स्थिति भी स्पष्ट है कि आबादी (ग्रामों में स्थित) का सर्वेक्षण संख्यांक ब्लॉक संख्यांक होगा और अन्य समस्त दखलरहित भूमियां भी ब्लॉक संख्यांक के रूप में विरचित होगी। समस्त शासकीय भूमियां गैर कृषि श्रेणी में होंगी अर्थात् उनके लिए ब्लॉक संख्यांक विचरित होंगे।

सामान्य स्थिति में ब्लॉक का निर्माण करते समय एक खसरा नम्बर की तुलना/समानता ब्लॉक नम्बर से होगी तथा प्रत्येक ब्लॉक में प्लॉट होंगे जिनको क्रमांक देते हुए विरचित किया जायेगा। स्पष्टतः नगरीय क्षेत्र में ब्लॉकों की संख्या अधिक होगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में खसरा नम्बरों की संख्या अधिक होगी।

मैदानी स्तर पर अपेक्षित अनुसार सर्वे अनुसार खसरा/ब्लॉक/प्लॉट नम्बर अनुसार अभिलेख तैयार होने तक वर्तमान अभिलेख का ही उपयोग किया जाना है।

5/ **नजूल भूमि.**– मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 से, प्रभावशील हो गये हैं। इसके पूर्व नजूल भूमि के प्रबंधन के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक–1 में थे। पूर्व प्रावधानों में नजूल भूमि की परिभाषा के स्थान पर अब नजूल भूमि को उक्त निर्देश, 2020 की कंडिका 3 (1) के खंड (ग) में परिभाषित किया

गया है, जिसके अनुसार समस्त दखलरहित भूमियां तथा गैर कृषिक प्रयोजन के लिये पट्टे पर आवंटित भूमियां नजूल भूमि हैं, तात्पर्य यह है कि उक्त परिभाषा अनुसार समस्त शासकीय भूमियां नजूल भूमि हैं, चाहे ऐसी भूमियां नगरीय क्षेत्र में स्थित हो या नगरेत्तर क्षेत्र में, और इस प्रकार नजूल भूमि के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र का प्रबंधन अब उक्त निर्देश, 2020 द्वारा प्रशासित होगा।

उक्त निर्देश, 2020 के द्वारा प्रशासित भूमियां अर्थात–

नजूल भूमियां = (समस्त शासकीय भूमियां) – (नगरेत्तर क्षेत्र में धारा 237 के अंतर्गत निस्तार हेतु पृथक रखी गयी भूमि + नगरीय क्षेत्र में धारा 233–क के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिये पृथक रखी गयी भूमि)

6/ **नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम.**– उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 234 के अधीन प्रत्येक ग्राम के लिये तैयार किये गये निस्तार पत्रक में कतिपय भूमियां विशिष्ट प्रयोजनों के लिये आरक्षित हैं। ऐसे ग्राम जो नगरीय क्षेत्र के विस्तारण की अधिसूचना के प्रभाव में नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गये हैं, अब संहिता के प्रावधानों के अनुसार ग्राम नहीं है, बल्कि धारा 104 की उपधारा (3) के अनुसार सेक्टर हैं और सेक्टर में निस्तार पत्रक प्रभावशील नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 233–क के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब उल अर्ज) नियम, 2020 का अनुसरण करते हुए, लोक प्रयोजनों के लिये भूमि पृथक रखे जाने की शक्ति कलेक्टर को प्राप्त है। कलेक्टर से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे ग्राम, जो नगरीय क्षेत्र में समाहित होकर **सेक्टर** बन गये हैं, में स्थित भूमियों की समीक्षा करें और उनमें से नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 233–क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिये भूमि आरक्षित करते हुए शेष भूमि भू–अभिलेख में दखलरहित (नजूल) भूमि के रूप में अंकित करायें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कलेक्टर संहिता की धारा 233–क के अधीन उपरोक्त कार्यवाही करते समय नगरीय क्षेत्र में स्थित अन्य दखलरहित (नजूल) भूमि को भी विचार में लेते हुए नगरीय क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समग्र रूप से योजना तैयार कर **लोक प्रयोजनों** के लिये भूमि आरक्षित करने पर विचार करे।

7/ **भू–राजस्व की दर.**– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 में अपेक्षित अनुसार भू–राजस्व की दर प्रत्येक वर्ष अधिसूचित की जाएगी, परन्तु यदि किसी वर्ष भू–राजस्व की दर अधिसूचित नहीं की जाती है तो पूर्व वर्ष की दर ही लागू होगी।

8/ **भू–सर्वेक्षण.**– कतिपय जिलों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके यथास्थिति ग्राम/सेक्टर का नक्शा उपलब्ध नहीं है या जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं। ऐसे क्षेत्रों के नक्शे तैयार किया जाना अपेक्षित हैं। अब बंदोबस्त की कार्रवाईयां नहीं की जाना है, किन्तु संहिता के अध्याय–सात में धारा 61 से 77 तक भू–सर्वेक्षण के प्रावधान हैं और ऐसे क्षेत्र जिनके नक्शें उपलब्ध नहीं है या नष्टप्राय हैं उन्हें तैयार किया जाने के लिये उक्त प्रावधानों का कियान्वयन किया जा सकता है। अतएव जिला कलेक्टर अपने जिले के ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करें और चिन्हांकित क्षेत्रों का भू–सर्वेक्षण किये जाने हेतु संहिता की धारा 64 के अंतर्गत आयुक्त, भू–अभिलेख से अधिसूचना जारी कराने हेतु प्रस्ताव भेजें।

उक्तानुसार प्रस्ताव पर आयुक्त, भू–अभिलेख द्वारा धारा 64 के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत उक्त अध्याय–सात के उपबंधों और उनके अधीन बने नियमों तथा भू–अभिलेख नियमावली के आध्याय–पन्द्रह में दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में जिला कलेक्टर, जो कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी भी हैं, जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न करायें तथा इस प्रकार तैयार नक्शों के आधार पर संहिता में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार किये जायें।

संहिता के अध्याय–सात के अधीन भू–सर्वेक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में किया जाना अपेक्षित है, किन्तु एक साथ यह कार्य व्यवहारिक नहीं है अतएव जिला कलेक्टर सर्वप्रथम उपरोक्तानुसार चिन्हांकित क्षेत्रों (जिनका नक्शा उपलब्ध नहीं है या जीर्ण–शीर्ण है) के भू–सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न करायें और संसाधनों की उपलब्धता को विचार में लेते हुए अपने जिले की आवश्यकता अनुसार पूर्व सर्वेक्षित क्षेत्रों, जिनके पूर्व बंदोबस्त के आधार पर भू–अभिलेख/अधिकार अभिलेख (मिसल बंदोबस्त) उपलब्ध हैं, को पुनर्सर्वेक्षित कराने हेतु प्रस्ताव तैयार करें और ऐसे प्रस्तावित क्षेत्रों के भू–सर्वेक्षण के लिये आयुक्त, भू–अभिलेख की ओर संहिता की धारा 64 के अधीन अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भेजें तद्नुसार अनुमोदित प्रस्तावों एवं अधिसूचित क्षेत्रों के आधार पर भू–सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न करायें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भू–सर्वेक्षण की यह एक निरंतर प्रकिया होगी जिसका उद्देश्य पूरे जिले का क्रमशः भू–सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न कर भू–अभिलेखों को अद्यतन किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्रामीण आबादी भूमि के जी.आई.एस आधारित सर्वेक्षण व भू–मापन का कार्य राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से सम्पन्न किया जा रहा है। ग्रामीण आबादी के सर्वे कार्य हेतु मार्गदर्शिका दिनांक 07 जुलाई, 2020 को जारी गई, जिसके अनुसार विभिन्न चयनित जिलों में सर्वे कार्य प्रगतिरत है।

प्रदेश में नगरेत्तर क्षेत्रों की भूमि (आबादी को छोड़कर) के सर्वे का कार्य भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अंतर्गत किये जाने की योजना है। इस सर्वेक्षण कार्य हेतु शीघ्र ही एक मार्गदर्शिका जारी की जाएगी।

नगरीय क्षेत्रों की भूमि के सर्वेक्षण का कार्य भी राजस्व विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से करने की योजना है, जिसकी प्रकिया का निर्धारण किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र की आबादी के सर्वेक्षण के संबंध में मार्गदर्शिका भी शीघ्र जारी की जाएगी।

9/ **एक ही भू–अभिलेख का उपयोग.–** संहिता के प्रावधानों की अपेक्षा यह है कि एक ग्राम/सेक्टर के लिये एक से अधिक अभिलेख नहीं होना चाहिए। देखने में यह आ रहा है कि कार्य की सुविधा को देखते हुए कुछ जिलो में, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में एक ही राजस्व ग्राम/सेक्टर में भू–अभिलेखों के संधारण के लिये एक से अधिक नक्शा या खसरा का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिये मिसल बंदोबस्त के आधार पर तैयार किये गये मूल नक्शे/खसरे और ऐसे अभिलेखों में एक लम्बी अवधि तक अद्यतनीकरण तो किया जाता रहा है किन्तु कालांतर में कतिपय क्षेत्रों में नजूल संधारण खसरा या डायवर्सन संधारण खसरा या ऐसे ही अन्य अभिलेख तैयार किये गये हैं और व्यवहार में उनका उपयोग भी किया जा रहा है। अतएव जिला कलेक्टर अपने जिले के ग्राम/सेक्टर (विशेषकर नगरीय क्षेत्रों) के ऐसे

अभिलेखों को समेकित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् करें ताकि प्रत्येक ग्राम/सेक्टर का एक ही अद्यतन नक्शा/खसरा प्रयोग मे रहे और वह www.mpbhulekh.gov.in पर प्रदर्शित हो।

10/ **भू–अभिलेख के प्रारूपों में परिवर्तन.**– उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020 दिनांक 06 जुलाई, 2020 से प्रभावशील हैं, इन नियमों में खसरा, मसाहाती खसरा, अधिकार अभिलेख, भू–अधिकार पुस्तिका एवं ग्राम/सेक्टर की व्यपवर्तित भूमि के ब्यौरे के लिये अलग–अलग प्ररूप विहित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक अभिलेखों के लिये भी कतिपय प्ररूप विहित हैं। इन प्ररूपों का उपयोग दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि सभी प्ररूपों में यथावश्यक परिवर्तन किये गये हैं, तथापि अधिकार अभिलेख, खसरा एवं खतौनी के प्ररूपों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, उनके संबंध में राजस्व अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे परिवर्तित प्ररूपों का अध्ययन करें और दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से नियमानुकुल उपयोग करें।

11/ **पुनरीक्षित भू–अभिलेख नियमावली.**– मध्यप्रदेश भू–अभिलेख नियमावली पुनरीक्षित की जा चुकी है, जो पूर्व भू–अभिलेख नियमावली को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित हैं। पुनरीक्षित भू–अभिलेख नियमावली के भाग –1 में पटवारी ,राजस्व निरीक्षक तथा अधीक्षक भू–अभिलेख की नियुक्ति प्रशिक्षण/सेवा तथा कर्तव्यों के संबंध में नियम व निर्देश दिए गए हैं तथा भाग–2 में सर्वेक्षण के संबंध में नियम व निर्देश दिए गए है। दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के पश्चात् अब नवीन मध्यप्रदेश भू–अभिलेख नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। अतएव समस्त राजस्व अधिकारी उक्त नियमावली का अध्ययन करें और आवश्यकतानुसार प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कार्यवाही करें।

12/ **संहिता व नियमों में हुए संशोधनों का इकजाई संकलन.**– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में किये गये संशोधनों के बाद अद्यतन मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता तथा तद्नुक्रम में बनाये गये नियम तथा समय–समय पर जारी परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि को सुलभ संदर्भ के उद्देश्य से समेकित (इकजाई) किया जाकर प्रमुख राजस्व आयुक्त की वेबसाइट www.revenue.mp.gov.in पर अपलोड किया गया है ताकि संहिता के प्रावधान एवं तद्नुक्रम में जारी किए गए नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं का सुविधापूर्वक अध्ययन किया जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार बिन्दुओं को संज्ञान में लेकर अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को भी तद्नुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट–क

(मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 2–2/2021/सात/शा.7 दिनांक 16/2./2021)

विषयः मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में किए गए संशोधनों तद्नुक्रम में जारी नवीन नियमों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1, 3 आदि को समाप्त/संशोधित कर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 द्वारा किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में स्पष्टीकरण बाबत्।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जुलाई 2018 में पृष्ठ 812(3) से पृष्ठ 812(80) (असाधारण) प्रकाशित किये गये हैं एवं मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 फरवरी 2020 में पृष्ठ 113 से 114(13) (असाधारण) में प्रकाशित किये गये हैं, द्वारा किए गए कतिपय प्रमुख संशोधनों का सारांश निम्नानुसार हैं –

(1) धारा–11, राजस्व अधिकारियों के वर्ग में प्रमुख राजस्व आयुक्त को सम्मिलित किया गया है। बन्दोबस्त आयुक्त के स्थान पर अब आयुक्त भू–अभिलेख होंगे। बन्दोबस्त अधिकारी एवं उप बन्दोबस्त अधिकारी के स्थान पर अब जिला सर्वेक्षण अधिकारी तथा उप सर्वेक्षण अधिकारी होंगे।

(2) धारा–13, उपखण्डों के सृजन का प्रावधान अब उसी प्रकार होगा जैसे तहसीलों के सृजन का प्रावधान है।

(3) धारा–44, अपील के प्रावधानों में भी किंचित संशोधन किया गया है जैसे जिला सर्वेक्षण अधिकारी के विरूद्ध संभागायुक्त को अपील होगी। सभी स्तर की अपीलों के लिए एक समान समयावधि 45 दिवस रखी गयी है, कतिपय मामलों में अपील वर्जित रहेगी और कतिपय मामलों में द्वितीय अपील वर्जित होगी।

(4) धारा–50, पुनरीक्षण के लिए समयावधि 45 दिवस ही होगी, अब आवेदन पर या स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण राजस्व मण्डल या आयुक्त या कलेक्टर द्वारा ग्राहय किया जा सकेगा, पुनरीक्षण की शक्तियों का समवर्ती प्रयोग नहीं होगा। कतिपय संशोधन पुनर्विलोकन के प्रावधान में भी किया गया है।

(5) धारा–57(2), राज्य और व्यक्ति के बीच भूमि में के हक संबंधी विवाद के विनिश्चय के प्रावधान विलोपित किये गये हैं।

(6) धारा–58, भू–राजस्व से माफी देने के लिए अब राज्य सरकार निर्णय ले सकेगी और अधिसूचना जारी कर भू–राजस्व माफ कर सकेगी।

(7) धारा–58, धारा–59, धारा–59–बी, धारा–60, ऐसी भूमि जिनका निर्धारण नहीं हैं उनका निर्धारण करने तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन करने पर भू–राजस्व का, भूमि के उपयोग के अनुसार, पुनर्निधारण करने के विस्तृत प्रावधान किए गये है। अब धारक अपनी भूमि के व्यपवर्तन के परिणामस्वरूप भू–राजस्व का पुनर्निधारण स्वयं कर सकेगा। व्यपवर्तन की अनुज्ञा की अनिवार्यता समाप्त की गई है, तथापि व्यपवर्तन किए जाने पर तदस्थानी प्रभावशील विधियों का पालन धारक को करना होगा। निर्धारण के लिए दरें राज्य सरकार नियम बनाकर अधिसूचित कर सकेगी। इस विषय में मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुननिर्धारण) नियम, 2018 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 से प्रभावशाली है।

(8) संहिता के अध्याय–7 एवं 8 जो नगरेतर एवं नगरीय भूमियों के राजस्व सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के संबंध में रहे हैं, उनके स्थान नया अध्याय–7 भूमि सर्वेक्षण प्रतिस्थापित किया

गया है जिसके द्वारा अब बन्दोबस्त की आवश्यकता नहीं रहेगी किन्तु भूमि का सर्वेक्षण आयुक्त भू–अभिलेख के सामान्य नियंत्रण एवं निर्देशन पर किया जा सकेगा और भूमि सर्वेक्षण के लिए यथास्थिति कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी उप सर्वेक्षण अधिकारी और तहसीलदार सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। परिणामस्वरूप भू–अभिलेखों का हस्तांतरण अनिवार्य नहीं रहेगा और राजस्व प्रशासन निर्वाध संचालित रहते हुए भूमि सर्वेक्षण का कार्य भी निरन्तर सम्पन्न किया जा सकेगा।

(9) धारा–104, नगरेतर क्षेत्रों में ग्राम होंगे और नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर होंगे। मैदानी स्तर पर ग्रामों के भू–अभिलेखों के संधारण के लिए पटवारी एवं नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर के भू–अभिलेखों के संधारण के लिए नगर सर्वेक्षक होंगे।

(10) धारा–107, ग्राम, आबादी, ब्लाक तथा सेक्टर के नक्शे अलग–अलग तैयार किये जाएंगे इनके लिए यथा आवश्यक अलग अलग स्केल का उपयोग किया जाएगा।

(11) धारा–115, अधिकार अभिलेख के प्रावधानों में भी आवश्यक संशोधन किया गया है। अधिकार अभिलेखों एवं भू–अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि हुई है तो उनमें सुधार के लिए उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत होंगे और यदि किसी भूमि में राज्य सरकार का हित निहित है तो त्रुटि सुधार के लिए मामला कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा।

(12) धारा–109, धारा–110, धारा–114 नामांतरण के मामलों में भी उल्लेखनीय संशोधन किए गए हैं यथा– नामांतरण का प्रकरण तभी समाप्त समझा जाएगा जब भू–अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन कर दी जाएं, नामांतरण आदेश के उपरांत प्रविष्टियां अंकित होने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को निःशुल्क प्रतियां प्रदाय की जाएंगी, भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के स्थान पर अब भू–अधिकार पुस्तिका प्रदाय की जाएगी।

(13) धारा–129, सीमांकन के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, यदि कोई पक्षकार तहसीलदार द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे मामले उपखण्ड अधिकारी को संदर्भ किए जाएंगे, जो विशेष टीम गठित कर सीमांकन की कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। सीमांकन के मामलों में अपील या पुनरीक्षण वर्जित रहेगा।

(14) धारा–131, मार्गाधिकार एवं सुखाचार तथा बाधाओं को हटाएं जाने विषयक प्रावधानों में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए इसे और अधिक कठोर किया गया है। बाधा नहीं हटाने पर सिविल कारागार का प्रावधान भी है।

(15) धारा–143, बकाया के मामलों में प्रारंभिक 12 माह तक बकाया पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके पश्चात् 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अधिरोपित किया जा सकेगा और उसकी वसूली की जा सकेगी।

(16) धारा–147, भू–राजस्व की उगाही एवं वसूली के प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं उदाहरण के लिए अब भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल योग्य धन के लिए बकायादार के बैंक के खाते तथा लॉकर आदि कुर्क किए जा सकेंगे, 50 लाख से अधिक के बकायादार को सिविल कारागार में भी भेजा जा सकेगा।

(17) धारा–147, बकाया वसूली की कार्यवाही के दौरान कुर्क सम्पत्ति की नीलामी के मामलों में विक्रय कब पूर्ण समझा जाएगा इसके प्रावधान अधिक स्पष्ट और प्रभावी किये गये हैं।

(18) धारा–158, ऐसे भूमिस्वामी, जिन्हें राज्य सरकार से भूमि आवंटन में प्राप्त हुई थी, की भूमि के अंतरण पर 10 वर्ष तक प्रतिबंध है, उसके पश्चात् अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा अनिवार्य है यह दोनों प्रावधान अलग–अलग धाराओं में हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए धारा 158 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि धारा 158 की उपधारा (3) के परन्तुक में उल्लेखित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा व्यक्ति पट्टे या आवंटन की

तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि अंतरित नहीं करेगा और उसके बाद धारा 165 की उपधारा (7–ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त कर ऐसी भूमि अंतरित कर सकेगा।

(19) धारा–168 एवं 169 भूमिस्वामी द्वारा अपनी भूमि पट्टे पर देने संबंधी कतिपय प्रतिबंधों एवं परिणामों से संबंधी रही है। इन प्रावधानों में परिवर्तन करते हुए अब सभी भूमिस्वामियों को 5 वर्ष तक अपनी भूमि पट्टे पर देने की अनुमति और उसकी प्रकिया के प्रावधान किये गये है। इसी संदर्भ में अब मौरूषी कृषक से संबंधित अध्याय के सभी प्रावधान धारा 146 से 202 तक विलोपित किये गये हैं।

(20) धारा–178(क) भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारियों में खाते का बंटवारा कर सकेगा और भूमिस्वामी चाहे तो वह अपने लिए भी खाते का कुछ अंश रोक सकता है।

(21) धारा–176, खाते का परित्याग के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई भूमिस्वामी जो अपने खाते पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू–राजस्व का भुगतान नहीं करता और उसने उस ग्राम को, जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है, छोड़ दिया है, तो तहसीलदार ऐसी भूमियों को कब्जे में लेकर एक कृषिक वर्ष की कालावधि के लिये पट्टे पर देकर खेती की व्यवस्था कर सकेगा। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से आगामी कृषि वर्ष के 5 वर्ष के भीतर कोई दावा नहीं करता तो उपखंड अधिकारी खाते को परित्यक्त करने पर विचार कर सकेगा।

(22) धारा–181–क, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में संपरिवर्तन का प्रावधान विलोपित करते हुए वर्तमान प्रावधानों में जितने लीज होल्ड धारक फ्री होल्ड में संपरिवर्तन करा चुके हैं, उन्हें भविष्य के लिए भूमिस्वामी मान्य किये जाने विषयक प्रावधान किये गये है।

(23) सेवा भूमि के संबंध में धारा 183 में अब ऐसी सेवा भूमि, जो नगरीय क्षेत्रों में आ गई है या विकास योजना क्षेत्र में आ गई है या ऐसे क्षेत्र में जो राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की बाह्य सीमा से बाहर अवस्थित है, उन्हें सेवा भूमि से हटाकर शासकीय दखलरहित भूमि मान्य करते हुए आगे उपयोग किये जाने का प्रावधान लाया गया है।

(24) जिस प्रकार नगरेतर क्षेत्रों में निस्तार भूमि आरक्षित रहती है उसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में भी धारा 233–क के अंतर्गत शासकीय भूमि लोक प्रयोजनों के लिए पृथक रखते हुए कलेक्टर आरक्षित कर सकेगा, इस आशय का प्रावधान जोड़ा गया है। निस्तार पत्रक बनाए जाने एवं उपांतरित किये जाने विषयक प्रावधानों को भी युक्तियुक्त बनाया गया है।

(25) दखलरहित भूमि पर वृक्ष लगाए जाने की अनुज्ञा दिए जाने से संबंधित प्रावधान धारा 239 में रहे है, इनमें महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। अब भविष्य में दखलरहित भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुज्ञा का यह प्रावधान नहीं रहेगा, केवल पूर्व में अनुज्ञाधारी व्यक्तियों को पूर्वानुसार अधिकार प्राप्त रहेंगे।

(26) धारा–244, आबादी क्षेत्रों में आबादी स्थल के आवंटन के लिए तहसीलदार प्राधिकृत होंगे, आबादी स्थल भूमिस्वामी हक पर आवंटित कर सकेंगे।

(27) शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में अर्थदण्ड के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है, अब अर्थदण्ड अधिकतम 1 लाख रूपये तक किया जा सकेगा। इस आशय का धारा 248 में संशोधन किया गया हैं। भूमिस्वामी की भूमि पर यदि किसी अन्य द्वारा बेजा कब्जा किया जाता है तो अर्थदण्ड अधिकतम रूपये 50 हजार तक किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त प्रकिया को भी सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु धारा 250 में संशोधन किया गया हैं।

परिशिष्ट–ख

(मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 2–2/2021/सात/शा.7 दिनांक 16/02/2021)

विषयः मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में किए गए संशोधनों तद्नुक्रम में जारी नवीन नियमों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1, 3 आदि को समाप्त/संशोधित कर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 द्वारा किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में स्पष्टीकरण बाबत्।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बनाये गये नियम की सूची का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन का तिथिवार विवरण

स.क.	नियम का नाम	अधिसूचना कमांक/दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक व पृष्ठ
1	(1.1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018	एफ 2–11/2018/सात/शा.6 दिनांक 28.09.2018	28 सितम्बर 2018 भाग 4 (ग) 973 से 977
	(1.2) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन	एफ 2–11/2018/सात/शा.7 दिनांक 14 जून 2019	21 जून 2019 भाग 4 (ग) 699 से 701
2.	(2.1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018	एफ 2–12/2018/सात/शा.6 दिनांक 28.09.2018	28 सितम्बर 2018 भाग 4 (ग) 988 से 1031
	(2.2) शुद्धि–पत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 – भाग (ख) नियम 3 (3) "निर्धारण की दिनांक"	एफ–2–12–2018–सात–शा.7	22 फरवरी 2019 भाग 4 (ग) 144
3.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमिस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018	एफ 2–10/2018/सात/शा.6 दिनांक 28.09.2018	28 सितम्बर 2018 भाग 4 (ग) 978 से 987
4.	(4.1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018	एफ 2–14/2018/सात/शा.6 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018	04 जनवरी 2019 भाग 4 (ग) 01 से 62
	(4.2) शुद्धि–पत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018	एफ–2–14–2018–सात–शा.7	22 फरवरी 2019 भाग 4 (ग) 144
5.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018	एफ 2–13/2018/सात/शा.7 दिनांक 28 जनवरी, 2019	01 फरवरी 2019 भाग 4 (ग) 103 से 129
6.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019	एफ 2–2/2019/सात/शा.7 दिनांक 18 जनवरी, 2019	19 जुलाई 2019 भाग 4 (ग) 756 से 862
7.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब–उल–अर्ज) नियम, 2020	एफ. 2–13/2019/सात/शा.7	28 फरवरी 2020 भाग 4 (ग) 525 से 585
8.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख) नियम, 2020	एफ. 2–2/2020/सात/शा.7	6 जुलाई 2020 429 से 430 (151) (असाधारण)
9.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020	एफ. 2–4/2020/सात/शा.7 23 सितम्बर, 2020	26 सितम्बर 2020 भाग 4 (ग) 1028 से 1048
10.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020	एफ. 2–5/2020/सात/शा.7 23 सितम्बर, 2020	26 सितम्बर 2020 भाग 4 (ग) 1049 से 1114
11.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020	एफ. 2–6/2020/सात/शा.7 दिनांक 3 नवम्बर, 2020	6 नवम्बर 2020 भाग 4 (ग) 1369 से 1522

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.